Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 4 | APRIL 2024

महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक असमानता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. विनीता राजपूत [1]

[1] **शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर.**

ABSTRACT:

KEYWORDS:

PAPER ACCEPTED DATE: **29th April 2024**

PAPER PUBLISHED DATE: **30th April 2024**

प्रस्तावना –

भारतीय गणतंत्र के 70 वर्षो से अधिक बीत जाने के बावजूद भी महिलाओं की चिंताजनक स्थिति गंभीर बात है। हमारे प्रदेश राजस्थान में भी महिलाओं के प्रति अपराध एवं हिंसा सदियों से चली आ रही है। सतीप्रथा, कन्यावध, डाबरी प्रथा, डाकन प्रथा, बाल–विवाह जैसी अनेक परम्परागत सामाजिक बुराईयाँ आज भी जारी है। बलात्कार, वेश्यावृत्ति, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, कन्याभ्रूण हत्या, मानव तस्करी जैसे नवीन अपराधों से महिलाओं की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई है। वर्तमान में इन सभी अपराधों में हो रही बढ़ोतरी ने समाज व सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। राज्य में सभी वर्गो की महिलाएं इन अपराधों एवं हिंसा का शिकार हो रही है। शौर्य त्याग, धैर्य, साहस के लिए विख्यात विरांगनाओं की भूमि राजस्थन में आज महिलाएँ अपने लिए समानता, न्याय, स्वतंत्रता गरिमापूर्ण जीवन के लिए संघर्ष करती दिखाई दे रही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृति सभी मोर्चो पर वे पिछड़ी हुई है। जननांकिक स्तर पर उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय बनी हुई है। निम्न साक्षरता, अतिनिम्न लिंगानुपात, उच्च मातृमृत्यु दर, उच्च शिशु मृत्यु दर, कन्या–भ्रूण हत्या, कुपोषण, एनीमिया, एड्स का तेजी से होता संक्रमण हमारे प्रदेश की महिलाओं को मुक्ति दिलाना सरकार व हम सबका उत्तरदायित्व है। महिलाओं को आगे बढाने के लिए सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिनका लाभ महिलाओं को मिल सके। इसके लिए पुनरीक्षण व पर्यवेक्षण पर भी जोर देने की आवश्यकता है महिलाओं के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, पौष्टिक भोजन, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था और अपराध, हिंसा व शोषण को रोकने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। सरकार व समाज के मिले जुले प्रयासों से ही महिलाओं का विकास संभव है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रगति के लाभों से महिलाएं वंचित न रहे। वे विकास की प्रक्रिया में समान रूप से सहयोगी व सहभागी बन सके। सामाजिक परिवर्तन और विकास के अभिकर्ता के रूप में महिलाओं का सशक्तीकरण अनिवार्य है। सामावेशी और समेकित विकास, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के साथ–साथ महिलाओं के लिए समान न्याय व स्वतंत्रता को भी प्रमुखता दी जानी चाहिए।

- राजस्थान में महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु किये जा रहे योजनागत प्रयास – बाल–विवाह, कन्याभ्रूण हत्या, निम्न साक्षरता, उच्च मातृ–मृत्यु दर मूलभूत चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव, कानून और व्यवस्था का ढ़िलापन आदि ऐसे कारणात्मक पहलू है जिनके कारण महिलाओं का जीवन कष्टप्रद बना हुआ है। महिलाओं के सामने आ रही सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण एवं महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार ने अनेक योजनाओं एवं नीतियों का निर्माण किया है। यहाँ उन्ही योजनागत प्रयासों का समीक्षात्मक विवेचन किये जाने का प्रयास किया गया है।

  - बालिका सम्बल योजना :– राज्य में गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने के उदेश्य से " मुख्यमंत्री बालिका सम्बल योजना " लागू की गई । योजनान्तर्गत कोई भी दम्पती जिनके पुत्र नही है और एक अथवा दो लडकियां होने पर नसबंदी करा लेते है तो उन्हे प्रत्येक बालिका के नाम से 10–10 हजार रूपयें की राशि के बॉण्ड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें ।
  - आपकी बेटी योजना :– वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 12 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को कक्षा 1 से 8 तक 1100 रू. प्रतिवर्ष तथा 9 से 12 तक 1500 रू. प्रतिवर्ष राशि सहायता के रूप में दी जाती है।
  - नन्ही कली योजना :– सत्र 2006–07 से उदयपुर जिले में राजकीय विद्यालयों, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालयों एवं पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक अध्यनरत अनुसुचित जन जाति की बालिकाओं हेतु राज्य सरकार एवं के.सी.महेन्द्रा एज्यूकेशन ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से 50:50 के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही है । जिसमें प्रत्येक बालिका हेतु 1800 रूपयें प्रतिवर्ष शैक्षणीक सहायता सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। योजनान्तर्गत 10000 बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है
  - पन्नाधाय जीवन अमृत (जन श्री बीमा) योजना :– बी.पी.एल. परिवारों को बीमा का लाभ देने हेतु बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत परिवारों में मृतक के आश्रित कों निर्धारित बीमा राशि प्रदान करने का प्रावधान / कक्षा 9 से 12 तक के विधार्थियो को छात्रवृति राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है ।
  - पालनहार योजना :– समाज के वे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता दोनो की मृत्यु हो गई है या उन्हे आजीवन कारावास की सजा हो गई है , ऐसे बच्चों को पालने वाले पालनहार को 500 रूपयें प्रतिमाह तथा स्कूल दाखीले के पश्चात 675 रूपयें मासिक अनुदान । इसके अलावा वस्त्र, जुते,मोजे, स्वेटर आदि के लिये 2000 रूपयें वार्षिक का अनुदान दिया जायेगा ।
  - निर्मल धाट योजना :– महिलाओं की निजता बनाये रखने एवं स्नान सुविधाजनक बनाने के लिये नदियों एवं अन्य तालाबों के साथ धाट बनाने के लिये निर्मल धाट योजना शुरू की गई ।
  - स्वंयसिद्वा योजना :– योजनान्तर्गत विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार हेतु विभिन्न व्यवसायों हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान।

- राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना (सबला) :– किशोरियों के हितार्थ एक नई राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना ,सबल, का शुभारम्भ 19 नवम्बर 2010 से किया गया है । पूर्व प्रधानमत्री स्व. श्रीमति इन्दीरा गांधी के जन्म दिवस पर शुरू की गई इस योजना से 11–18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के सही मानसिक व शारिरिक विकास में मदद मिलेगी ।

- किशोरी बालिका मंडल परियोजना :– राज्य के उदयपुर संभाग में उदयपुर, डूंगरपुर,राजसमंद एवं चितौडगढ में यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से 10 से 19 वर्ष की स्कूल न जाने वाली / स्कूल बीच में छोड देने वाली किशोरी बालिकाओं के लिये किशोरी बालिका मण्डल परियोजना संचालित की जा रही है । योजना के उद्देश्य बालिका मण्डलों के माध्यम से स्कूल न जाने वाली /स्कूल छोडने वाली किशोरी बालिकाओं में जीवन कौशल का विकास, प्रजनन स्वास्थ्य उन्नत करना तथा उन्हे शिक्षा की औपचारिक /अनौपचारिक पद्वति से जोडना है ।

- किशोरी शक्ति योजना :–भारत सरकार द्वारा संपोषित स्कूल न जाने वाली /स्कूल छोडने वाली 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। किशोरी शक्ति योजना के उद्वेश्य की प्राप्ति के लिये बालिका मंडल का गठन किया जाता है। एवं इन मंडलो की बैठकों के दौरान बालिकाओं कों स्वच्छता, गृह प्रबन्ध , पोषण, बाल अधिकार, महिलाओं के अधिकार एवं विभिन्न विभागों की योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रति समझ विकसीत की जाती है ।

- महिला शक्ति पुरस्कार :– प्रति वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है । वर्ष 2009–10 में राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार की राशि 11000 हजार से बढाकर 51000 रूपयें कर दी है गत वर्षो से महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन जिला परिषद/उपनिदेशक कार्यालय में जमा करा सकते है।

- स्त्री शक्ति पुरस्कार :–भारतीय इतिहास की सुविख्यात महिलाओं अर्थात् अहिल्या बाई होल्कर, कण्णगी माता जीजाबाई, रानी गैंदिल्यू जेलियांग एवं रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर दिये जाने वाले स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रतिवर्ष आंमत्रित किये जाते हैं। यह पुरस्कार 5 महिलाओं को जिन्होंने निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान किया हो को दिये जाते है।निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों, विधवाओं, अत्याचारों एवं झगड़ों की पीड़ित, विकलांग महिलाओं एवं बच्चों, वृद्वाओं आदि जैसी कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रही महिलाओं एवं बच्चों की सहायता एवं पुर्नवास।

- स्वंय सहायता समूह कार्यक्रम :– राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दृष्टि से स्वंय सहायता समूह कार्यक्रम वर्ष 1997–98 से संचालित किया जा रहा हैं। यह कार्यक्रम राज्य के सभी 33 जिलों में संचालित हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर समूह बनाती हैं। तथा अपनी छोटी–छोटी बचतों के माध्यम से सहयोग स्वावलम्बन की प्रवृतियां विकसित करती हैं एवं स्वरोजगार की और प्रवृत होती हैं।

- महिला स्वंय सहायता समूह संस्थान :– राज्य स्तर पर महिलाओं के आर्थिक उत्थान, विभिन्न प्रशिक्षणों अन्तर्विभागीय समन्वयन, गठन एंव लिंकेज की प्रभावी मोनिटरिंग, अनुसंधान सर्वेक्षण, सेमीनार, कार्यशालाए आदि के आयोजन करने की दृष्टि से 30 मार्च 2005 को राज्य स्तरीय महिला स्वंय सहायता समूह संस्थान की स्थापना की गई। राज्य सरकार द्वारा संस्थान की स्थापना कर महिलाओं को राज्य की आर्थिक प्रगति में प्रमुख सहभागी बनाया गया हैं।

- कलेवा योजना :– बजट घोषणा वर्ष 2010–11 अंतर्गत मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कलेवा योजना प्रारम्भ की गई हैं। योजना अंतर्गत राज्य समस्त 368 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कराने वाली को प्रथम 2 दिवस तक गरम, शुद्व एवं पौष्टिक भोजन महिला स्वंय सहायता समूहों द्वारा पकाकर उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। इस संस्थागत प्रसवों में वृद्वि के साथ–साथ महिला स्वंय सहायता को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार प्राप्त हो रहा हैं। योजना के प्रारभिक परिणाम सकारात्मक रहे है

- समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम – राष्ट्रीय बाल नीति–1974 के प्रस्तावों के अनुसरण में राज्य के बच्चो एवं महिलाओं , विशेष रूप से गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाए उपलब्ध कराने के उद्वेश्य से समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की प्रथम बाल विकास परियोजना बांसवाडा जिले के गढी पंचायत समिति में 2 अक्टूर 1975 को प्ररम्भ की गई । वित्तीय वर्ष 2008–09 ते यह शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना रही । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रकार का प्रशासनिक व्ययभार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता रहा । वर्ष 2009–10 से इस योजना के लिये भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत राशि तथा शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है । इस कार्यक्रम के उद्वेश्य एवं दी जाने वाली सेवाओं का विवरण निम्ननुसार है :–

1. 0–6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चो के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना ।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारिरिक एवं सामाजिक विकास के आधार तैयार करना ।
3. बाल मृत्यु,रूगणता, कुपोषण तथा बीच में पढाई छोडने वाले बच्चों की दर में कमी लाना।
4. बाल विकास को प्रोत्साहन के लिये संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना ।
5. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माताओं को प्रशिक्षित करना ।

- मातृ–शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस :–यह दिवस केन्द्र परिक्षेत्र के सभी गर्भवती, धात्री व एक वर्ष तक के बच्चों के समस्त टीके, स्वास्थ्य जांच तथा पोषण संबंधी परामर्श देने हेतु प्रतेक केन्द्र पर माह के किसी एक गुरूवार को गर्मियों में 8 से 2 तथा सर्दियों में 10 से 5 बजे तक आयोजित होता है। इसमें मेडिकल विभाग से ए.एन.एम.समस्त टीकों सहित उपस्थित होती है। आशा सहयोगिनी संबंधित लाभार्थियों को केन्द्र पर बुला कर लाती है। और आवश्यक टीकके और स्वास्थ्य जांच को सुनिश्चित किया जाता है। मातृ–शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का नियमित आयोजन होने के कारण राज्य में टिकाकरण स्वास्थ्य जांच का प्रतिशत बढा है ।

- महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) :– भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग की महिलाओं को रोजगार से जोडने हेतु भारत सरकार अनुदान स्वीकृत किया जाता है । स्वंय सेवी संस्थाओ से नियमानुसार प्राप्त प्रस्ताव एम्पावर कमेटी के माध्यम से अभिशंषित कर भारत सरकार को अग्रेषित किये जाते है । इस कार्यक्रम द्वारा न केवल ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हुआ है । अपितु इन जिलों की ग्रामीण महिलाओं के लिये साक्षरता,ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सफाई, स्वरोजगार कार्यक्रम आदि के द्वारा एवं जागरूक कार्यक्रम चलाकर उनका सर्वागीण विकास भी किया जाता है।

- महिला विकास कार्यक्रम :– महिलाओं के समग्र विकास के उद्वेश्य से वर्ष 1984 में प्रयोगात्मक रूप से राज्य के 7 जिलों यथा जयपुर,अजमेर,जोधपुर,भीलवाडा, उदयपुर, बांसवाडा व कोटा में महिला विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था । कार्यक्रम की सफलता एवं महिलाओं के इसमें रूझान के दृष्टिगत कार्यक्रम का विभिन्न चरणों में विस्तार किया जाकर वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के समस्त जिलों में संचालित किया जा रहा है।

- मुख्यमंत्री सात सूत्रीय महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम :– वर्तमान में महिला के प्रति नकारात्मक सोच को देखते हुए यह आवश्यक है कि समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा को स्थापित किया जावें । यह तभी संभव होगा जबकि उन सभी दुविधाओं जिनका सामना उनकों करना पडता है पर सार्वभोमिक दृष्टि एवं सम्यक रूप से ध्यान दिया जाए । इसके लिये श्रेणीवृद्व एवं वृहतर अभिगमन की दृष्टि से जीवन चक्र आधारित माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वर्ष 2009–10 में सात सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।

- सामूहिक विवाह नियमन व अनुदान योजना :– समाज में विवाहों पर अनावश्यक व्यय की प्रवृति बढ़ती जा रही हैं। सामूहिक विवाहों के आयोजन से इस पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा हैं। राज्य सरकार द्वारा इनका महत्व स्वीकार करते हुए ऐसे कार्यक्रमों के प्रोत्साहन हेतु वर्ष 1996 में सामूहिक विवाह अनुदान नियम बनाये गये। इन नियमों को और प्रभावी जाने हेतु राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 दिनांक 20.01.2010 से लागु किय गये हैं

- जिला महिला सहायता समिति :– राज्य में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार के उपरान्त की महिलाओं की स्थिति में परिवार

स्तर पर अपेक्षित सुधार नहीं हुआ हैं एवं महिला उत्पीड़न एवं शोषण के प्रकरणों में कमी नही आ रही हैं। ऐसा देखने में आया हैं कि मुख्य रूप से समाज में व्याप्त महिलाओं के प्रति विचारधारा ही महिलाओं के उत्पीडन एवं हिंसा का मुख्य कारण हैं। इस हेतु कुछ प्रकरणों में, विशेष रूप से पारिवारिक प्रकरणों को समझाइश के माध्यम से सकारात्मक रूप से सुलझाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- सामाजिक सशक्तीकरण :–
  - महिलाओं के विरूद्व घटित अपराधों के संदर्भ में पुलिस द्वारा तुरन्त एफ.आई.आर.दर्ज कर शीघ्र ही अनुसंधान प्रारम्भ करने की व्यवस्था की गई।
  - बलात्कार के प्रकरणों का 7 दिन में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश।
  - घरेलू हिंसा, प्रताड़ना अथवा शोषण सम्बन्धी समस्याओं के समाधान एवं पारिवारिक सामंजस्य हेतु स्वंयसेवी संगठनों के सहयोग से 13 महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र खोले गये।
  - दो महिला थानों सहित 92 पुलिस थानों पर महिला सहायता केन्द्रों की स्थापना।
  - विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं को मिलने वाले लाभ के मूल्यांकन हेतु जेण्डर ऑडिट प्रारम्भ।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा सशक्तीकरण हेतु 46164 मातृ शिक्षक एसोसिएशन्स का गठन।
  - जयपुर के विधाधर नगर में सेना एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में युद्व विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र का निर्माण कराया गया।
  - राज्य की अपचारी बालिकाओं के आश्रय/संरक्षण की दृष्टि से पांच अपचारी बालिका गृह अजमेर, बीकानेर, कोटा,जोधपुर, उदयपुर में भवन निर्माण कराकर गृह प्रारम्भ।
- भू–अधिकार :–
  - महिलाओं के पक्ष में कृषि भूमि हस्तान्तरण के दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क 50 प्रतिशत घटाकर 11 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत किया गया।
  - भू–आंवटन पट्टे पति–पत्नी के संयुक्त नाम से जारी किये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय।
  - वर्ष 2003 तक निर्मित मकानों के कब्जों का निःशुल्क नियमन कर अब केवल पट्टा महिलाओं के नाम जारी।
- रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तीकरण :–
  - ई–मित्र कार्यक्रम के विस्तार के अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले सभी 6608 कॉमन सर्विस सेन्टर महिलाओं को ही आवंटित किये जाने का प्रावधान।
  - सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिला उद्यमियों की क्षमता विकास निपुणता के अद्यतन हेतु एवं ई–मित्र कियोस्क के संचालन हेतु महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
  - डेयरी बूथ और पॉलर्स का आवंटन केवल महिलाओं को किए जाने का प्रावधान।
  - डेयरी पॉर्लर स्थापित करने पर डीप फ्रीजर इत्यादि के लिए 10 हजार रूपये प्रति पॉर्लर की दर से देय।
  - गॉवों में खेल केन्द्र और युवा केन्द्रों के संचालन हेतु बारहवीं कक्षा पास महिलाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता।
- स्वास्थ्य सुविधाएँ :–
  - महिलाओं के लिए 2011 तक नियत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुरव्यमंत्री का 5 सूत्री कार्यक्रम लागू जिसके अन्तर्गत, बालिका शिक्षा में शत प्रतिशत नामांकन, बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति, सभी महिलाओं को संस्थानिक प्रसव की सुविधा, जन्म दर को 21 प्रति हजार तक लाना प्रत्येक जिले में अगले तीन वर्ष तक एक हजार महिलाओं के लिए रोजगार सृजित।
  - मुरव्यमंत्री बालिका सम्बल योजनान्तर्गत पुत्र रहित दम्पतियों द्वारा अधिकतम दो बालिकाओं के जन्म के पश्चात 2 र्मिनल मेथड्स' अपनाने पर प्रति बेटी 10 हजार रूपये की एफ.डी.आर.।
  - सुरक्षित व संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु समस्त विभागीय महिला चिकित्सकों को सुरक्षित प्रसव का प्रशिक्षण दिलाया गया।
  - सुरक्षित प्रसव के लिये लगभग 34 हजार से अधिक दाइयों को प्रशिक्षण।
  - प्रतिदिन 24 घण्टे सुरक्षित मातृत्व एवं अन्य सुविधाएँ देने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में कम से कम एक कुल 365 स्वास्थ्य संस्थाओं का चयन कर उनका सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।
  - सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिये ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिला को 1400 रूपये एवं शहर क्षेत्र की महिला को 1000 रूपये की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
  - महिला चिकित्सालय, जयपुर में संजीवनी मदर एण्ड चाइल्ड हैल्थ सेंटर का नया भवन बनकर तैयार इसमें नवजात शिशु आई.सी.यू. एवं नवजात शिशु वार्ड का उपयोग शुरू।
  - जनाना अस्पताल में ऑकोलोजी एवं नवजात शिशु इकाई वार्ड की स्थापना।
- सुझाव व निष्कर्ष :–

  वर्तमान परिवेश में नारी को उसके अधिकार दिलाने के लिए आवश्यक है कि नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया जावे तथा नारी को ऐसी शिक्षा प्रदान की जावे उसे पुरूषों के जैसी मनोवृति का ना बनायें बल्कि नारी को नारी बनने में सहायता करें। जो नारी के जीवन में ऐसी क्रांति लाएँ की ताकि स्वयं नारी अपनी आत्मा व छाया की आवश्यकता महसूस करें तथा स्वयं को पुरूष की माँ, बेटी, बहन, पत्नि की छाया से ऊपर उठकर केवल नारी बने रहने का अधिकार समाज से मांग सके। नारी को सम्मान दिलाने के लिए प्रथम महत्ती आवश्यकता यह है कि नारी स्वयं के मन को नारी होने के अपराध भाव से मुक्त करें साथ ही वह एक पुरूष के शोषण व अत्याचार से मुक्त होने के लिए दूसरे पुरूष– पिता, भाई, पति की सहायता मांगना बंद करे तथा नारी ही नारी ही सहयोगिनी बने। नारी की आत्मा व छाया तथा उसके सम्मान को बचाने के लिए संविधान, कानून, योजनाएं, नियम आदि सबके सब तब तक निरर्थक मालूम होते है जब तक कि स्वयं नारी अपने विचारों, भावनाओं तथा मन में नारी होने के प्रति स्वाभिमान तथा गर्व के भाव उत्पन्न नहीं करती।

REFERENCES

1. प्रो. आर.पी. जोशी – '' मानवाधिकार एवं कर्तव्य'' पृष्ठ सं. 114 (2005)
2. डोवरी : डेफीनेशन फ्रोम द मेरियमवेब्स्टर ऑनलाईन डिक्शनरी
3. एस.जी.विल्सन, डोवरी : एन्साइक्लोपिडिया ऑफ एन्सेन्ट ग्रीस'। 2002
4. त्रिदिवेश भट्टाचार्य – भारतीय दण्ड संहिता
5. एबस्ट्रेक्ट – फिमेल फोटिसाईड : ए सोशियल कल्चरल सिनेरियों
6. प्रतीक जैन–राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब
7. अवधेश कुमार – योजना फरवरी 2008 (अनैतिक व्यापार)
8. किरण बेदी एंव पी.एन.नायर–'भारत में मानव–तस्करी आयाम चुनौतियां और प्रतिक्रियाएं, योजना फरवरी 2008 (अनैतिक व्यापार)
9. सरिता पांडेय – फरवरी 2008 योजना में प्रकाशित लेख से साभार
10. मधुकिश्वर योजना फरवरी 2008 में प्रकाशित लेख से साभार
11. भारती घनश्याम – योजना फरवरी 2008 (अनैतिक व्यापार)
12. विशाखा दत्ता/सिद्वार्थ हुले – योजना फरवरी 2008 (अनैतिक व्यापार)

13. सुधा अवस्थी : महिला अत्याचार एवं मानवाधिकार प्रथम संस्करण : 2003